जनपद बिजनौर

प्रेस नोट-- थाना चांदपुर दिनांक 26.09.2025

थाना चांदपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 541/25 घारा 3/5/8/ गौवध निवारण अधि0 मे वांछित अभियुक्त को घटना मे प्रयुक्त एक बाइक, रस्सा आदि सहित किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

अवगत कराना है दिनांक 23/09/2025 को ग्राम तख्तपुर मे नहर के पास खेत मे गौवंशीय अवशेष मिलने के संबंध मे थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 541/25 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम पंजीकृत किया गया है । घटना के अनावरण हेतु पुलिस टीमो का गठन किया गया था।

नोट- दिनांक 24.09.2025 को हुई पुलिस मुठभेड में उपरोक्त अभियोग से संबंधित गोकशी की घटना में संलिप्त 02 अभियुक्तगण शहजाद पुत्र भूल्लन व भूल्लन पुत्र अल्लादिया निवासीगण ग्राम कमालपुर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर, दिनांक 25.09.2025 को 02 बालअपचारी अभियुक्तगण को पुलिस निगरानी में लिया गया तथा आज दिनांक 26.09.2025 को वांछित अभियुक्त अजीम उर्फ छंग्गा पुत्र याकुब कुरेशी निवासी ग्राम रसूलपुर नंगला थाना चांदपुर बिजनौर को पुलिस मुठभेड के दौरान गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

कार्यवाही –

आज दिनांक 26.09.2025 को ही थाना चांदपुर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभि0 कैफ पुत्र तसलीम निवासी ग्राम कमालपुर थाना चाँदपुर बिजनौर को घटना मे प्रयुक्त एक मो0सा0 DL9S D 0422 सहित गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशानदेहीं पर गौकशी छटना के दौरान साथी नाबालिक (पूर्व मे अभिरक्षा मे लिये गए) के पहने हुए कपडे व पशु बाधने का रस्सा भी बरामद किया गया। अग्रिम आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

गौकशी की घटना मे वांछित शेष अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

कैफ पुत्र तसलीम नि0 ग्राम कमालपुर थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर।

बरामदगी विवरण-

1. घटना में प्रयुक्त एक मो0सा0 DL9S D 0422
2. अरमान के पहने हुए कपडे व गौवंशीय पशु बांधने का रस्सा

अभि0 कैफ का अपराधिक इतिहास-

मु0अ0स0 541/25 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 श्री सुभाष चन्द थाना चाँदपुर बिजनौर।
2.का0 2341 मौ0 सिराज थाना चाँदपुर बिजनौर।
3.का0 668 राज कुमार थाना चाँदपुर बिजनौर।
4.का0 2048 इंसाद थाना चाँदपुर बिजनौर।
5.का0 2035 असलम थाना चाँदपुर बिजनौर।
6.म0का0 627 दिशा सैनी थाना चाँदपुर बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट- थाना स्योहारा **दिनाँक- 26.09.2025**

थाना स्योहारा पुलिस ने मु0अ0स0 383/25 धारा 115(2)/352/74/351(3) बीएनएस व 3(2)5क एससीएसटी एक्ट से संबंधित 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 25/9/2025 को वादी श्री पुष्पेन्द्र पुत्र बलवीर नि0 मेवा नावादा थाना स्योहारा बिजनौर द्वारा थाना स्योहारा पर तहरीर दी गई की अभियुक्तगण द्वारा वादी के साथ गाली गलौच करते हुए मारपीट की गई एवं वादी की पत्नी के साथ अभद्र व्यवहार किया गया। तहरीर के आधार पर थाना स्योहारा पर मु0अ0सं0 383/25 धारा 115(2)/352/74/351(3)बीएनएस व 3(2)5क एससीएसटी एक्ट बनाम असरफ आदि 04 अभियुक्तगण पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

आज दिनांक 26/09/2025 को थाना स्योहारा पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से संबंधित अभि0 1-महमूद पुत्र अय्यूब 2-गुलफाम पुत्र अ0 अजीज 3- जरीश पुत्र अब्दुल निवासीगण मेवा नवादा थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विवेचना प्रचलित है

अभियुक्तगण का नाम पताः-

1 -महमूद पुत्र अय्यूब नि0 मेवानवादा थाना स्योहारा बिजनौर
2-गुलफाम पुत्र अ0 अजीज नि0 मेवानवादा थाना स्योहारा बिजनौर
3- जरीश पुत्र अब्दुल नि0 मेवानवादा थाना स्योहारा बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 श्री यशदेव शर्मा थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।
2. हे0का0 162 मैमपाल थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।
3. का0 2233 रुपक थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।
4. का0 2501 शिवम थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।
5. का0 411 दीपक थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट- थाना कोतवाली शहर **दिनांक 26.09.2025**

थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा मु0अ0स0 817/2025 धारा 109(1) बीएनएस मे वांछित अभियुक्त को घटना मे प्रयुक्त एक अवैध चाकू व कार सहित गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 24.09.2025 को वादिया द्वारा अभियुक्त अनीस पुत्र खलील नि0 मौ0 जाब्तागंज थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर द्वारा वादिया के पुत्र को काम दिलाने के लिए अपनी कार DL10CA6751 से ले जाना तथा जान से मारने की नियत से वादिया के बेटे पर चाकू से हमला कर गंभीर घायल कर देने के संबंध मे थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0स0 817/2025 धारा 109(1) बीएनएस पंजीकृत कराया गया था। अभियोग में विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान धारा 109(1) बीएनएस का विलोप कर धारा 103(1) बीएनएस की वृद्धि की गयी।

कार्यवाही-

आज दिनांक 26.09.2025 को जनपद मे थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग मे वांछित अभियुक्त अनीस पुत्र खलील नि0 मौ0 जाब्तागंज थाना नजीबाबाद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशांदेही पर घटना मे प्रयुक्त एक अवैध चाकू तथा लाल रंग की आई-20 गाड़ी नं0 DL10CA6751 को बरामद किया गया। अग्रिम आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ विवरण-

पूछताछ में अभियुक्त अनीस ने बताया कि उसकी पुत्री, रिजवान के छोटे भाई गुफरान के साथ चली गई थी। इस बात से क्षुब्ध होकर उसने योजनानुसार रिजवान को अपनी लाल रंग की आई-20 कार (नं0 DL10CA6751) में बैठाकर पुत्री व गुफरान को तलाशने निकला, परन्तु वे नहीं मिले।

इसी बात को लेकर गजरोला अचपल की ओर जंगल वाले रास्ते पर धान के खेत के पास उसकी रिजवान से कहासुनी हो गई। गुस्से में आकर उसने अपने पास रखे चाकू से रिजवान पर कई वार कर दिए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़ा। अभियुक्त ने चाकू वहीं ईख के खेत में फेंक दिया तथा अपनी कार व मोबाइल वहीं छोड़कर भाग गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

अनीस पुत्र खलील नि0 मौ0 जाब्तागंज थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

बरामदगी का विवरण

1.घटना मे प्रयुक्त एक अवैध चाकू

2.घटना में प्रयुक्त लाल रंग की आई0 20 गाड़ी नं0 DL10CA6751

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

अनीस पुत्र खलील नि0 मौ0 जाब्तागंज थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:

1.उ0नि0 विनय कुमार थाना को0शहर जनपद बिजनौर

2.है0का0 170 संदीप मय थाना को0शहर जनपद बिजनौर

3.का0 1907 अक्षय थाना को0शहर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट- थाना कोतवाली शहर **दिनांक 26.09.2025**

थाना कोतवाली शहर पुलिस ने मु0अ0सं0 820/25 धारा 115(2)/351(2)/352 मे वांछित अभियुक्त को घटना मे प्रयुक्त एक अवैध तंमचे सहित गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 25.09.2025 को वादी प्रमोद कुमार पुत्र घसीटा नि0 मौ0 जाटान वालमिकि पार्क के पास थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ने अभियुक्त आकाश पुत्र अमरे निवासी मौ0 जाटान वाल्मिकी पार्क के पास थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर द्वारा वादी के साथ मारपीट, गाली गलौच व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0स0 820/2025 धारा 115(2)/351(2)/352 बीएनएस पंजीकृत कराया गया था।

कार्यवाही-

आज दिनांक 26.09.2025 को थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग मे वांछित अभियुक्त आकाश पुत्र अमर निवासी मौ0 जाटान वाल्मिकी पार्क के पास थाना को0 शहर जनपद बिजनौर को घटना मे प्रयुक्त एक अवैध तमंचा 315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग मे धारा 3/25 आयुद्ध अधिनियम की वृद्धि की गयी। अग्रिम आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त विवरण-

आकाश पुत्र अमर निवासी मौ0 जाटान वाल्मिकी पार्क के पास थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

बरामदगी विवरण-

घटना मे प्रयुक्त एक अवैध तंमचा 315 बोर

अभियुक्त आकाश उपरोक्त

मु0अ0स0 820/2025 धारा 115(2)/351(2)/352 बीएनएस 3/25 आयुद्ध अधि0 थाना कोतावाली शहर जनपद बिजनौर

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः

1.उ0नि0 प्रदीप बघेल थाना को0शहर जनपद बिजनौर।

2.है0का0 580 राहुल थाना को0शहर जनपद बिजनौर।

3.का0 119 अरशद थाना को0शहर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट थाना को0शहर दिनांक 26.09.2025

थाना को0शहर पुलिस ने मु0अ0सं0 808/2025 व मु0अ0स0 611/2025 मे वांछित 02 अभियुक्तो को एक अवैध पिस्टल 7.65mm मय जिन्दा कारतूस सहित गिरफ्तार किया।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 16.07.2025 को वादी अनिल पुत्र अमरनाथ निवासी रोडवेज बस स्ट्रेण्ड थाना जगाधारी जनपद यमुना नगर हरियाणा ने थाना कोतवाली शहर पर तहरीर दी कि बिजनौर बाईपास रोड स्थित मदर डिवाईन पब्लिक स्कूल के पास अज्ञात अभियुक्त द्वारा जान से मारने की नियत से वादी की गाडी पर फायर कर दिया जिससे हाथ में गोली लग जाने से वादी घायल हो गया था। प्राप्त तहरीर के आधार थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0स0 611/2025 धारा 109(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

दिनांक 21.09.2025 वादिया वर्षा पत्नी योगेन्द्र शर्मा निवासी ग्राम रतनपुरी थाना कोतवाली शहर बिजनौर ने थाना कोतवाली शहर पर तहरीर दी कि मर्सी अस्पताल के पास बुलेट मोटरसाइकिल सवार 02 नामित व एक अज्ञात अभियुक्त द्वारा जान से मारने की नीयत से वादिया के पति योगेन्द्र शर्मा पर फायर कर दिया गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 808/2025 धारा 109(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त दोनो अभियोगो की विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियुक्तगण 1.सचिन कर्णवाल पुत्र स्व0 मूलचन्द कर्णवाल नि0 मौ0 भाटान थाना को0 शहर जनपद बिजनौर व 2.अमित पुत्र सुरेश नि0 मौ0 जाटान थाना को0 शहर जनपद बिजनौर के नाम प्रकाश मे आये।

कार्यवाही-

1. आज दिनांक 26.09.2025 थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा उपरोक्त दोनो अभियोगो मे वांछित 1.सचिन कर्णवाल पुत्र स्व0 मूलचन्द कर्णवाल नि0 मौ0 भाटान थाना को0 शहर जनपद बिजनौर, 2.अमित पुत्र सुरेश नि0 मौ0 जाटान थाना को0 शहर जनपद बिजनौर को एक अवैध पिस्टल 7.65mm व 04 जिन्दा कारतूस 7.65mm व घटना में प्रयुक्त बुलेट मोटर साईकिल यूपी-20सीके-8722 सहित गिरफ्तार किया गया।

बरामदगी / पूछताछ के आधार पर अभियोग 880/25 मे धारा 3(5) बीएनएस व 3/25/27 आयुध अधि0 की वृद्धि की गयी

पूछताछ विवरण

अभियुक्तो ने पूछताछ पर बताया कि दिनांक 20.09.2025 को वे दोनो अपने साथी विशाल (पुत्र राजपाल, निवासी काशीराम कालोनी, थाना कोतवाली शहर, बिजनौर) के साथ बुलेट मोटरसाइकिल पर मर्सी हॉस्पिटल के पास से जा रहे थे। उसी मार्ग पर एक व्यक्ति अपनी मोटरसाइकिल से उनकी बुलेट मोटरसाइकिल के आगे से तेज़ी से गुज़रा तो गुस्से में आकर मर्सी अस्पताल के पास अभियुक्त सचिन ने पिस्टल निकालकर उस व्यक्ति की ओर फायर किया और तीनो घटना स्थलों से भाग गए।

अभियुक्त सचिन द्वारा यह भी बताया गया दिनांक 16.07.2025 को रात्रि लगभग 11:00 बजे वह अपने साथी विशाल के साथ रिंग रोड से जा रहे थे, नशे की स्थिति में थे; सेंट मैरी की ओर से आ रही एक कार बार-बार हॉर्न दे रही थी, तो विशाल के कहने पर अभियुक्त सचिन ने मदर डिवाइन पब्लिक स्कूल के सामने पिस्टल से उक्त गाडी पर फायर किया और दोनों वहाँ से भाग गए।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1.सचिन कर्णवाल पुत्र स्व0 मूलचन्द कर्णवाल नि0 मौ0 भाटान थाना को0 शहर जनपद बिजनौर।

2.अमित पुत्र सुरेश नि0 मौ0 जाटान थाना को0 शहर जनपद बिजनौर।

अभियुक्तों का आपराधिक इतिहासः-

अभियुक्त सचिन कर्णवाल उपरोक्त -

1.मु0अ0सं0 808/2025 धारा 109(1) /3(5) बीएनएस व 3/25/27 आयुध अधि0 को0 शहर जनपद बिजनौर

2.मु0अ0सं0 611/2025 धारा 109(1) बीएनएस को0 शहर जनपद बिजनौर

अभियुक्त अमित उपरोक्त-

1.मु0अ0सं0 808/2025 धारा 109(1) /3(5) बीएनएस व 3/25/27 आयुध अधि0 को0 शहर जनपद बिजनौर

2.मु0अ0सं0 611/2025 धारा 109(1) बीएनएस को0 शहर जनपद बिजनौर

बरामदगी का विवरणः-

2. एक अवैध पिस्टल 7.65mm व 04 जिन्दा कारतूस 7.65mm
3. घटना में प्रयुक्त बुलेट मोटर साईकिल UP20CK-8722

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. उ0नि0 विनय कुमार थाना को0शहर जनपद बिजनौर।
2. मुख्य आरक्षी 170 संदीप कुमार थाना को0शहर जनपद बिजनौर।
3. का0 1491 सन्दीप कुमार थाना को0शहर जनपद बिजनौर।
4. का0 1907 अक्षय थाना को0शहर जनपद बिजनौर।

मिशन शक्ति फेज-5.0 अभियान

प्रेस नोट – थाना किरतपुर   दिनांक-26-09-2025

थाना किरतपुर क्षेत्रान्तर्गत मिशन शक्ति फेस 5.0 के परिप्रेक्ष्य में महात्माँ गाँधी मेमोरियल पब्लिक मुस्लिम इण्टर कॉलेज कस्बा किरतपुर में छात्र/छात्राओं की दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

आज दिनांक 26.09.2025 को "मिशन शक्ति" के पंचम चरण के अन्तर्गत थाना किरतपुर क्षेत्र के **महात्माँ गाँधी मेमोरियल पब्लिक मुस्लिम इण्टर कॉलेज कस्बा किरतपुर** में "मिशन शक्ति विशेष अभियान के परिप्रेक्ष्य में **श्रीमती रजनी कालरा, क्षेत्रीय अनुसंधान विभाग प्रमुख/समन्वयक भारतीय जनता पार्टी, नगीना विधानसभा बिजनौर एवं क्षेत्राधिकारी नजीबाबाद के निर्देशन में थाना किरतपुर पुलिस द्वारा** छात्र एवं छात्राओं की दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया। कार्यक्रम के दौरान छात्र एवं छात्राओं को शारीरिक रुप से सुदृढ बनाये जाने, आत्मरक्षा करने एवं महिला एवं बालिकाओं को उनके सुरक्षा के अधिकारों के प्रति जागरुक करने के उद्देश्य से उक्त दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम के दौरान कॉलेज में अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं की विभिन्न श्रेणी में दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। उक्त आयोजन का सुभारम्भ प्रातः 0900 बजे किया गया। उक्त दौड़ प्रतियोगिता के आयोजन में 300 विधार्थियों में से (60) छात्र/छात्राओं ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया गया। दौड़ प्रतियोगिता के माध्यम से छात्र/छात्राओं में प्रतिस्पर्धा की भावना, शारीरिक सुदृढ़ता तथा टीम भावना का विकास सुनिश्चित किया गया।

मिशन शक्ति 5.0 कार्यक्रम में श्री नितेश प्रताप सिंह क्षेत्राधिकारी नजीबाबाद, श्री वीरेन्द्र कुमार, थाना प्रभारी किरतपुर, श्री तारिक अली, प्रबन्धक, महात्मां गांधी मेमोरियल पब्लिक मुस्लिम इण्टर कॉलेज कस्बा किरतपुर, मौहम्मद मजहर नामी, प्रधानाचार्य, मौ0 हारून उपप्रधानाचार्य, श्री युनुस अली खेल अध्यापक, व अन्य कॉलेज स्टाफ की उपस्थिति में कॉलेज के छात्र/छात्राओं की दौड़ प्रतियोगिता आयोजित करायी गयी। उक्त प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करने वाले निम्नलिखित छात्र/छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। साथ ही वर्तमान में प्रचलित मिशन शक्ति अभियान फेज 5.0 की महत्वता व अभियान के उद्देश्यों से भी सभी छात्र/छात्राओं को अवगत कराया गया है। प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले सभी छात्र/छात्राओं को मेडल व ट्रॉफी वितरित कर उनका उत्साहवर्धन किया गया।

विवरणः–

- **100 MITER RACE- FIRST POSSION (FEMALE)**
  1. अर्चना कुमारी - कक्षा 06 की छात्रा।
  2. कु0 शब्बो - कक्षा 11 की छात्रा।
- **100 MITER RACE-SECOND POSSION (FEMALE)**
  1. कु0 बॉवी - कक्षा 09 की छात्रा।
  2. कु0 आकांक्षा - कक्षा 11 की छात्रा।
- **100 MITER RACE- THIRD POSSION (FEMALE)**
  1. कु0 नीता - कक्षा 09 की छात्रा।
  2. कु0 तनु - कक्षा 11 की छात्रा।

- <u>पुरूष प्रतियोगिता :–</u>

❖ <u>100 MITER RACE- FIRST POSSION (MALE)</u>

1 हमजा अली - कक्षा 10 का छात्र

2 मौ0 उवैश - कक्षा 08 का छात्र

❖ <u>100 MITER RACE- SECOND POSSION (MALE)</u>

1 अदनान - कक्षा 09 का छात्र

2 उजैर - कक्षा 09 का छात्र

❖ <u>100 MITER RACE- THIRD POSSION (MALE)</u>

1 मौ0 अनवार - कक्षा 08 का छात्र

2 फब्बाद - कक्षा 08 का छात्र

मिशन शक्ति फेज 5.0 अभियान के तहत आयोजित इस कार्यक्रम से छात्रों में नई ऊर्जा का संचार हुआ तथा उन्हें आत्मविश्वास के साथ समाज में अपनी भूमिका निभाने हेतु प्रेरित किया गया। पुलिस प्रशासन एवं विधालय प्रबन्धन द्वारा इस प्रकार के आयोजनों को निरंतर जारी रखने का आश्वासन दिया गया, जिससे बालक-बालिकाओ में जागरुकता, आत्मनिर्भरता और सुरक्षा के प्रति सजगता बनी रहे।

कार्यक्रम में सम्मिलि पुलिस अधिकारी/कर्मचारीगण

1. श्री नितेश प्रताप सिंह, क्षेत्राधिकारी नजीबाबाद, जनपद बिजनौर।
2. श्री वीरेन्द्र कुमार, प्रभारी थाना किरतपुर, जनपद बिजनौर।
3. उ0नि0 श्री गोरव मलिक, थाना कितरपुर, बिजनौर।
4. कां0 2592 सुमित कुमार, थाना किरतपुर, बिजनौर।
5. कां0 689 गोरव तवतिया, थाना किरतपुर, बिजनौर।
6. म0कां0 389 नवीता, थाना किरतपुर, जनपद बिजनौर।
7. म0कां0 385 ज्योति नरवाल थाना किरतपु, बिजनौर।
8. म0कां0 2407 ओमी, थाना किरतपुर, बिजनौर।

9-म0कां0 2400 पारूल, थाना किरतपुर, जनपद बिजनौर।

10.म0कां0 226 प्रीति थाना किरतपुर, जनपद बिजनौर।

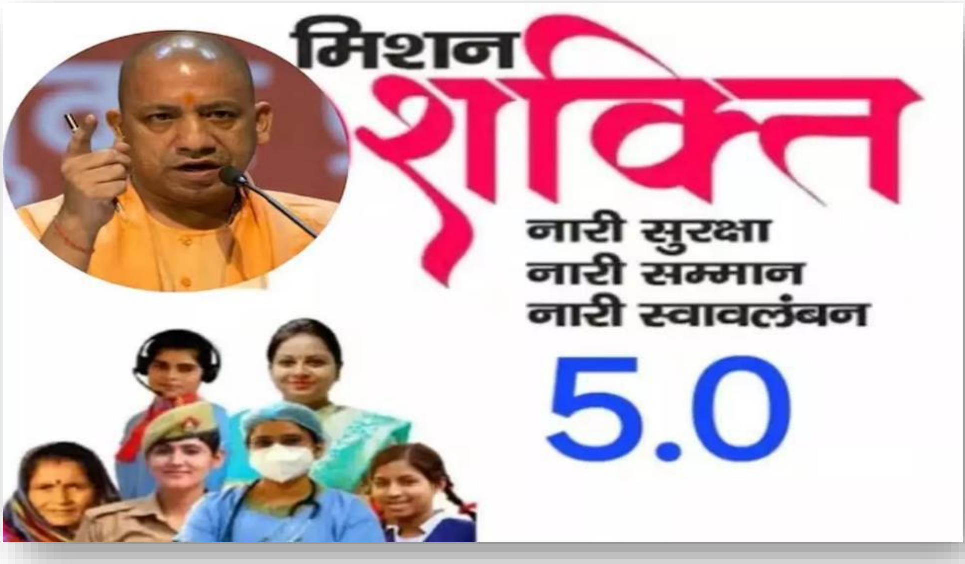

--0--

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना चांदपुर   दिनांक 26.09.2025

थाना चांदपुर पुलिस ने पुलिस मुठभेड के दौरान गौकशी की घटना कारित करने वाले 25 हजार के इनामी/हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त को अवैध शस्त्र व एक मोटरसाइकिल सहित किया गिरफ्तार।

सक्षिप्त विवरण-

अवगत कराना है दिनांक 23/09/2025 को ग्राम तख्तपुर मे नहर के पास खेत मे गौवंशीय अवशेष मिलने के संबंध मे थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 541/25 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम पंजीकृत किया गया है । घटना के अनावरण हेतु पुलिस टीमो का गठन किया गया था।

***नोट-* दिनांक 24.09.2025 को हुई पुलिस मुठभेड में उपरोक्त अभियोग से संबंधित गोकशी की घटना में संलिप्त 02 अभियुक्तगण शहजाद पुत्र भूल्लन व भूल्लन पुत्र अल्लादिया निवासीगण ग्राम कमालपुर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर का गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है तथा दिनांक 25.09.2025 को 02 बालअपचारी अभियुक्तगण को पुलिस निगरानी में लिया गया ।**

कार्यवाही विवरण

जनपद मे अपराध व अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम मे दिनांक 25.09.2025 को थाना चांदपुर पुलिस टीम को चेकिंग के दौरान सूचना प्राप्त हुई कि गोकशी की घटना में संलिप्त व फरार अभियुक्त अजीम उर्फ छंग्गा पुत्र याकुब कुरेशी निवासी ग्राम रसूलपुर नंगला थाना चांदपुर बिजनौर, अपनी मोटरसाइकिल से अपने ग्राम रसूलपुर नंगला जा रहा है।

सुचना पर थाना चांदपुर पुलिस द्वारा बास्टा-महबूल्लापुर ढाकी रोड पर संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग की गयी, तो चैकिंग के दौरान मोटरसाइकिल सवार अभियुक्त अजीम उर्फ छंग्गा को रोकने का प्रयास किया गया तो अभियुक्त द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर किया गया। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ की गयी जवाबी फायरिंग में अभियुक्त अजीम उर्फ छंग्गा उपरोक्त के पैर में गोली लगी, जिसे घायलावस्था में गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 01 तमन्चा व 01 खोखा तथा 03 जिन्दा कारतूस 315 बोर व 01 मोटरसाइकिल (बिना नम्बर प्लेट) बरामद हुई। घायल अभियुक्त अजीम उर्फ छंग्गा को उपचार हेतु सीएचसी स्याऊ में भर्ती कराया गया है।

अभियुक्त अजीम उर्फ छंग्गा उपरोक्त थाना चांदपुर के उपरोक्त अभियोग के साथ-साथ मु0अ0स0 546/25 धारा 109(1)/3(5) बीएनएस मे वांछित चल रहा था। अभियुक्त अजीम उर्फ छंग्गा थाना चांदपुर का सक्रिय हिस्ट्रीशीटर (98ए) अभियुक्त है, जिसके विरूद्ध जनपद के विभिन्न थानो पर 17 अभियोग पंजीकृत है।

नोट- अभियुक्त अजीम उर्फ छंग्गा के ऊपर 25 हजार रूपये का ईनाम घोषित किया गया था।

पूछताछ विवरण-

अभियुक्त अजीम उर्फ छंगा से की गई पूछताछ पर यह तथ्य प्रकाश मे आये कि उनके 02 साथी (पूर्व में पुलिस अभिरक्षा मे लिये गए 02 बालअपचारी) घूमन्तु गौवंशीय पशुओं को पकड़कर सुनसान स्थानों पर बाँध देते है। रात्रि में मौका पाकर अजीम उर्फ छंगा अपने अन्य साथियों 1.शमीम, 2.वसीम व 3.अजीम पुत्रगण याकूब तथा शहजाद पुत्र

भूल्लन व भूल्लन पुत्र अल्लादिया (पूर्व मे गिरफ्तार) के साथ मिलकर उक्त गौवंशीय पशु का वध कर देते है तथा उक्त मांस को बेचकर आर्थिक लाभ कमाते है।

साथ ही अजीम उर्फ छंगा ने यह भी बताया कि दिनांक 22/23.09.2025 की रात्रि में भी उसने अपने साथियों के साथ मिलकर ग्राम तख्तपुर के जंगल में गौवंशीय पशु का वध किया गया था, जिसके अवशेष खेत में छोड़ दिए गए थे, जबकि मांस बाइक से बेचने हेतु रफाकत व रियासत पुत्रगण नजाकत निवासीगण ग्राम गांगूनगंला थाना हीमपुर दीपा की दुकानों (ग्राम अम्हेडा व ग्राम सल्लाहपुर, थाना हल्दौर) पर ले जाकर उन्हे गौमांस बेच दिया था।

प्रकरण मे वांछित शेष अभियुक्तो की शीघ्र गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

1.अजीम उर्फ छंगा पुत्र याकुब कुरेशी निवासी ग्राम रसूलपुर नंगला थाना चांदपुर बिजनौर।

वांछित अभियुक्तगण का विवरण-

1.शमीम पुत्र याकूब निवासी ग्राम रसूलपुर नंगला थाना चांदपुर बिजनौर।
2.वसीम पुत्र याकूब निवासी ग्राम रसूलपुर नंगला थाना चांदपुर बिजनौर।
3.रफाकत पुत्र नजाकत निवासी ग्राम गांगूनगंला थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर।
4.रियासत पुत्र नजाकत निवासी ग्राम गांगूनगंला थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर।

बरामदगी विवरण-

01 तमन्चा व 01 खोखा तथा 03 जिन्दा कारतूस 315 बोर व 01 मोटरसाइकिल (बिना नम्बर प्लेट)

गिरफ्तार अभियुक्त अजीम उर्फ छंगा उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 573/2014 धारा 429 भादवि थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर
2.मु0अ0सं0 574/2014 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर
3.मु0अ0सं0 343/2016 धारा 379/411 भादवि थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर
4.मु0अ0सं0 401/2016 धारा 379/429 भादवि थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर
5.मु0अ0सं0 410/2016 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर
6.मु0अ0सं0 570/2016 धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर
7.मु0अ0सं0 643/2017 धारा 3/5/8 गोवध अधिनियम थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर
8.मु0अ0सं0 647/2019 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर
9.मु0अ0सं0 513/2022 धारा 269/270/429 भादवि थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर
10.मु0अ0सं0 623/2022 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर
11.मु0अ0सं0 147/2023 धारा 380/411/457 भादवि थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर
12.मु0अ0सं0 653/2023 धारा 3/5/8 गोवध अधिनियम व धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर
13.मु0अ0सं0 841/2023 धारा 2(b)(i), 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर
14.मु0अ0सं0 414/2024 धारा 303(2) बी0एन0एस0 थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर
15.मु0अ0सं0 567/2024 धारा 303(2) बी0एन0एस0 थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर
16.मु0अ0सं0 642/2024 धारा 303(2) बी0एन0एस0 थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर
17.मु0अ0सं0 683/2024 धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट व 3/5/8 गोवध अधिनियम तथा धारा 109(1), 318(4), 345(3) बी0एन0एस0 थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर

पुलिस टीम –

1.प्रभारी निरीक्षक अमित कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।
2.उ0नि0 संदीप पंवार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।
3.उ0नि0 हिमान्शू पंवार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

4.म0उ0नि0 जया थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।
5.उ0नि0 अब्दुल कादिर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।
4.उ0नि0 रोबिन कौशिक थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।
6.हे0का0 विपिन कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।
6.आरक्षी आदित्य मलिक थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।
7.आरक्षी रणजीत मलिक थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।
8.आरक्षी अंकुर कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।
9.आरक्षी स्नेह सिद्धार्थ थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।
10.आरक्षी मौ0 सिराज थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।
11.म0का0 नीरु यादव थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।
12.म0आ0 दिशा सैनी थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।